
## राजस्थान सरकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,सुजानगढ़,(चुरू) ज़िला - चूरू





क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /25687696009 दिनांक:11-07-2025 आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5137274079

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 श्री आदू राम खिलैरी पुत्र/पुत्री श्री मोहन राम खिलैरी , माता का नाम श्रीमती गीता देवी, राजस्थान राज्य के जिला चूरू पता- जोगलिया, सुजानगढ़, चूरू के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री आदू राम खिलैरी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 जाट वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त श्री आदू राम खिलैरी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं हैं।

## नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेत् डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है । दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4.: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अत: सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है| टोकन संख्या : 250706802065

\*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवओं में नियुक्तियों और पदोंतथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ |

उपखण्ड अधिकारी,सुजानगढ़,(चुरू)

Signature Not Verified

Digitally elgned by OMPRAKASH VERMA Date: 2025,07.11, 12:00:47

+05:30

Reason: Approved Location: Rajasthan

